

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(आय-व्ययक अनुबाग)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या: जी-६४६/आई०वी०/१०८वी०-२२९/अनु०-९४/पैजीलेखा लखनऊ दिनांक नवम्बर ३०, २०१८

कार्यालय झापे

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पैजी लेखा के अन्तर्गत शासनादेश सं०-११४/२०१८/३१४३/१८-२७-सिं०-९-०८मवन/१७, दिनांक २७-११-२०१८ हारा "जनपद महाराजगंज में चौधरी बरण सिंह निरीक्षण गृह सिंचाई कालोनी परिसर महाराजगंज के पुनरुद्धार की परियोजना" की प्रशासकीय स्वीकृति रु ३८.५० लाख की प्रदान करते हुए, यालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु १९.७० लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को उनके सम्मुख आकित धनराशि व्यव किये जाने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है:-
(आकड़े लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/उपशीर्षक/मद	मुख्य अभियन्ता का नाम	प्रविष्टि धनराशि
अनुदान संख्या-९४ सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) ४७००-मुख्य सिंचाई पर पैजीमत परियोज्य ३६-गण्डक नहर प्रणाली की समता पुनर्स्थापना की परियोजना (व्यापारिक) ०५१-निर्माण १०-नहर १०१४-सम्बद्ध कार्य २४-पुहत्त निर्माण कार्य	(गण्डक) गोरखपुर।	१९.७०

रूपया उनीस लाख सत्तर हजार मात्र

उपरोक्त धनराशि का आयेन्द्रन समय-समय पर जारी कार्यालय झापे एवं उपरोक्त शासनादेश में क्रमांक-०१ से १४ तक दिये नियमों/शर्तों का अनुपालन किया जाय।

दिनांक कुमार राठी
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या जी-६४६ (१)/आई०वी०/तददिनांक- ३०।।।२०।९

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

- १- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- २- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- ३- विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुबाग-७, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- ४- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- ५- मुख्य अभियन्ता (पूर्व) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर को शासनादेश की प्रति सहित।
- ६- मुख्य अभियन्ता (अधिकारी नियोजन) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- ७- मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण)/(सूचना प्रणाली संगठन) सिं० वि०, उ०प्र०, लखनऊ।
- ८- मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई विभाग, उ०प्र०, गोरखपुर को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- ९- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- १०- अधिकारी अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उ० प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- ११- प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- १२- कट काईल।

१०।।।२०।९

(अशोक कुमार सिंह)

मुख्य अभियन्ता (बजट)

वित्त प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।